

कार्यालय नगर निगम, कोटा
मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना
संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश
(नगर निकाय के उपयोग हेतु)

क्रमांक..न.नि.को./बी.पी.एल / 13-14/ 2079-2086

दिनांक:- 16.09.2013

बीपीएल सेन्सस-2003 में से राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में निम्नानुसार लाभार्थियों को मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। पात्र व्यक्तियों को योजना के अनुसार प्रथम किश्त की राशि रूपये 33000/- हजार एतद्वारा किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर जारी की जाती है।

1. आवेदक को अपना आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।
2. बैंक में खाता खुलवाकर बैंक पास बुक की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
3. योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण उन्नयन हेतु राशि 70000 रूपये तथा शोचालय निर्माण के लिए पृथक से 5000रूपये की राशि देय होगी। इस प्रकार कुल राशि 75000 हजार देय होगी। प्रथम किश्त में 28000/-रूपये एवं 5000/- रूपये शोचालय निर्माण हेतु, कुल राशि 33000/- रूपये, द्वितीय किश्त राशि 28000/- रूपये तथा तृतीय किश्त राशि में 14000/- रूपये की राशि देय होगी।
4. भूमि जिसमें आवास निर्माण/उन्नयन कराया जायेगा, उसके पट्टे की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
5. मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल आवास योजना, एकीकृत आवास एवं गांदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (IHSDP) राजस्थान विशेष आवास योजना शहरी गरीबों को आधारभूत सेवा कार्यक्रम (BSDP) के अंतर्गत पट्टे की अनिवार्यता नहीं होगी बर्तने लाभान्वित प्रतिबंधित भूमि यथा वन क्षेत्र, झूब क्षेत्र, नदी-नाले, आगोर, देवस्थान, रक्षा विभाग आदि की भूमि पर निवास नहीं कर रहा है। पट्टे के अभाव में लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से पास व्यक्ति/ परिवार के कब्जे के प्रमाण स्वरूप वर्ष 2009 से पूर्व के निवास के निम्नांकित दस्तावेज ग्राह्य मान माने जायेगे।

- (i) मतदाता सूची में नाम।
- (ii) राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
- (iii) बिजली, पानी टेलीफोन आदि के बिल।
- (iv) सक्षम प्राधिकारी से जारी पुराना पट्टा/विक्रय पत्र अथवा सत्यापित साइड प्लान जिसमें लाभान्वित का नाम एवं कब्जे शुदा भूमि का विवरण अंकित हो।
- (v) किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय।
- (vi) कब्जेधारी को पूर्व में जारी कोई नोटिस/पत्र आदि की प्रति।

नोट:- यह स्वीकृति आदेश भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी।

वर्ष 2013-14 अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में लाभान्वित किये जाने वाले पात्र परिवारों की वार्डवार सूची :-

क्र.सं.	जोन	नयी वार्ड संख्या	पूर्व वार्ड संख्या	लाभार्थी का नाम मय पिता/पति एवं पता	चयनित क्रमांक	जाति S.C-(1) S.T-(2) O.B.C- (3) Gen-(4) अल्पसंख्यक-(5)	बैंक का नाम मय शाश्वा	खाता सं.	कुल स्वीकृत राशि	पूर्व में जारी की गई कुल राशि	हस्तान्तरित की जाने वाली प्रथम किश्त की राशि			विशेष विवरण
											योजनान्तर्गत राशि	राज्य सरकार की अति. सहायता	योग 28000/- रु + 5000/-रु	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	रामपुरा	50	31	मोहम्मद कासिम	अब्दुल रहमान	31/551			75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
2	रामपुरा	50	31	मोहम्मद शब्बीर	अब्दुल गनी	31/525			75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
3	रामपुरा	50	31	अब्दुल गनी	अब्दुल गफूर	31/22			75000	-	-	-	33,000	उन्नयन

4	रामपुरा	50	31	अनवर हुसैन	पीर मोहम्मद		31/507			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
5	रामपुरा	50	31	मोहम्मद सलीम	मन्सूर खां		31/390			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
6	रामपुरा	50	31	अहसान खां	रमजान खां		31/481			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
7	रामपुरा	50	31	मोहम्मद इलियास	अब्दुल रत्फ		31/573			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
8	रामपुरा	50	31	मोहम्मद अली	अहमद अली		31/377			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
9	रामपुरा	50	31	मोहम्मद इरफान	अब्दुल सलाम		31/52			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
10	रामपुरा	50	31	शकीला	कमरुद्दीन		31/55			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
11	रामपुरा	50	31	मोहम्मद रशीद	मोहम्मद इस्हाक		31/226			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
12	रामपुरा	50	31	मोहम्मद रशीद	अब्दुल रहीम		31/622			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
13	रामपुरा	50	31	मोहम्मद सिराज	नूर मोहम्मद		31/467			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
14	रामपुरा	50	31	मोहम्मद मुर्तजा	मोहम्मद इर्तजा		31/671			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
15	रामपुरा	50	31	सितारा	ताहिर		31/890			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
16	रामपुरा	50	31	अब्दुल रशीद	अब्दुल गफकार		31/15			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
17	रामपुरा	50	31							75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
18	रामपुरा	50	31	शकील अहमद	जमिल अहमद		31/433			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
19	रामपुरा	50	31	मोहम्मद रफीक	मोहम्मद अयुब		31/533			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
20	रामपुरा	50	31	बाबुदीन	मोइनुदीन		31/1271			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
21	रामपुरा	50	31	जुबेदा	फखरुदीन		31/62			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
22	रामपुरा	50	31	अब्दुल वहीद	चांद मोहम्मद		31/1067			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
23	रामपुरा	50	31	जाकिर हुसैन	मुन्तु खां		31/1036			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
24	रामपुरा	50	31	अख्तर परवीन	स्व. मोहम्मद उस्मान		31/1035			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
25	रामपुरा	50	31	अब्दुल सलीम	अब्दुल करीम		31/786			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
26	रामपुरा	50	31	फतह मोहम्मद	अब्दुल मजिद		31/413			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
27	रामपुरा	50	31	अब्दुल रशीद	छोटे खां		31/442			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
28	रामपुरा	50	31	अकरम	बशीर मोहम्मद		31/63			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
29	रामपुरा	50	31	सादिक	मोहम्मद उस्मान		31/540			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन

30	रामपुरा	50	31	बशीर अहमद	अब्दुल खलील		31/1318				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
31	रामपुरा	50	31	असगरी	अब्दुल गफकार		31/552				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
32	रामपुरा	50	31	बदरुद्दीन	मो. दीन		31/712				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
33	रामपुरा	50	31	बाबुदीन	फकरुदीन		31/672				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
34	रामपुरा	50	31	सराफत हुसैन	सदाकत हुसैन		31/700				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
35	रामपुरा	50	31	मोहम्मद अशरफ	शबराती		31/235				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
36	रामपुरा	50	31	अब्दुल अजीज	अब्दुल रहमान		31/165				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
37	रामपुरा	50	31	अनारुद्दीन	जहुरुदीन		31/1104				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
38	रामपुरा	50	31	जहुरुदीन	मुराद		31/1106				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
39	रामपुरा	50	31	आमीन	जलालुदीन		31/1094				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
40	रामपुरा	50	31	मेहमुद	मोहम्मद यामिन		31/1103				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
41	रामपुरा	50	31	जफरुदीन	जहुरुदीन		31/1105				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
42	रामपुरा	50	31	अकबर	अब्दुल गफुर		31/1189				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
43	रामपुरा	50	31	गनी मोहम्मद	अब्दुल रशीद		31/327				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
44	रामपुरा	50	31	मोहम्मद आरिफ	मोहम्मद इस्हाक		31/1110				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
45	रामपुरा	50	31	शकील	मोहम्मद रमजानी		31/1108				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
46	रामपुरा	50	31	मोहम्मद रफिक	मोहम्मद याकुब		31/1143				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
47	रामपुरा	50	31	अब्दुल जब्बार	अब्दुल रजाक		31/635				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
48	रामपुरा	50	31	मोहम्मद हनीफ	फैज मोहम्मद		31/913				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
49	रामपुरा	50	31	अब्दुल गफुर	अब्दुल सतार		31/897				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
50	रामपुरा	50	31	सावरा	स्व. लतीफ		31/956				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
51	रामपुरा	50	31	अनवर हुसैन	अब्दुल मजीद		31/722				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
52	रामपुरा	50	31	रफीकन	छोटु		31/957				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
53	रामपुरा	50	31	मोहम्मद मक्सुद	मोहम्मद यामिन		31/1102				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
54	रामपुरा	50	31	मोहम्मद असलम	मोहम्मद इस्हाक		31/1107				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
55	रामपुरा	50	31	सिराज कुरैशी	मोहम्मद इब्राहिम		31/656				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन

56	रामपुरा	50	31	शकील	अब्दुल खालिक		31 / 804				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
57	रामपुरा	50	31	जाहिद हुसैन	सिराज हुसैन		31 / 814				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
58	रामपुरा	50	31	अख्तर हुसैन	अब्दुल मजीद		31 / 546				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
59	रामपुरा	50	31	मोहम्मद कासम	अब्दुल रहमान		31 / 693				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
60	रामपुरा	50	31	जरीना बानो	मुकदमर हुसैन		31 / 832				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
61	रामपुरा	50	31	अब्दुल वहीद	अब्दुल रशीद		31 / 1172				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
62	रामपुरा	50	31	अशरत	एहसान भाई		31 / 193				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
63	रामपुरा	50	31	अब्दुल सतार	अब्दुल समद		31 / 754				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
64	रामपुरा	50	31	अब्दुल वहाब	अब्दुल अजीज		31 / 609				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
65	रामपुरा	50	31	साजिद हुसैन	जाहिद हुसैन		31 / 669				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
66	रामपुरा	50	31	रहमतुल्ला	इस्माइल		31 / 563				75000	—	—	—	33,000	उन्नयन

अधिकारी
आवश्यकता
(राज्यपालीका एवं आवास योजना)
नगर निगम, कोटा

मुख्य कार्यालयी अधिकारी
मुख्य कार्यालयी अधिकारी
नगर निगम, कोटा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्री. इज्यराज सिंह जी माननीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र कोटा बून्दी।
- माननीय विधायक महोदय विधानसंभा क्षेत्र कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा।
- महापौर महोदया, नगर निगम कोटा।
- पार्षद श्री.....वार्ड नं.....।
- प्रभारी अधिकारी (मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना) राजस्थान आवास विकास एवं इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड (RAVIL) जयपुर।
- उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग कोटा।
- आवेदक श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....।
- रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यालयी अधिकारी
मुख्य कार्यालयी अधिकारी
नगर निगम, कोटा

